न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2020

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. कैलाश पुत्र श्यामसुन्दर 2. दिनेश पुत्र श्यामसुन्दर 3. केसर पत्नी श्यामसुन्दर 4. कलावती पुत्री श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी पालडी जोधा, तहसील मूण्डवा जिला नागौर	1. रमेश पुत्र श्रीराम 2. सुरेश पुत्र श्रीराम 3. सुनील पुत्र श्रीराम 4. भंवरी पुत्री श्रीराम 5. किरण पुत्री श्रीराम 6. सन्तु पुत्री श्रीराम 7. कमला पुत्री श्रीराम तमाम जाति ब्राह्मण निवासी पालडी जोधा। 8. संतोष पत्नी सुरेश 9. सुमित्रा पत्नी रमेश जाति ब्राह्मण निवासी पालडी जोधा 10. तहसीलदार, मूण्डवा

वकील प्रार्थी
श्री नरेन्द्र सारस्वत

वकील अप्रार्थी
श्री रामकिशोर मुण्डेल

आदेश

दिनांक :– **03.03.2021**

1– प्रार्थीगण की ओर से निम्न आवेदन प्रस्तुत किया गया है–

1. यह है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष मजबूत आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण के सफल होने की पूरी संभावना है।
2. यह है कि ग्राम पालड़ी जोधा के ख.न. 469 रकबा 2.5495 हैक्टर तथा ख.न. 472 रकबा 3.1808 हैक्टर कुल रकबा 5.7303 हैक्टर भूमि लक्ष्मीनारायण के तीन पुत्रों भीकाराम, श्यामसुन्दर और श्रीराम के संयुक्त कब्जे काश्त की बहिस्सा बराबर बराबर रहती रही है। वर्तमान में भी यह भूमि राजस्व रेकर्ड रवेवट खतौनी सम्वत् 2076 की जमाबंदी में भी इन तीनों भाइयों के संयुक्त खातेदारी में बहिस्सा प्रत्येक 1/3 – 1/3 दर्ज है। श्यामसुन्दर व श्रीराम की मृत्यु क्रमशः 2008 व मे हो चुकी है मगर इन दोनों खसरो की भूमि का नामान्तरण श्यामसुन्दर और श्रीराम के उतराधिकारियों के नाम दर्ज नहीं होकर यह भूमि अभी श्यामसुन्दर और श्रीराम के ही नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण श्यामसुन्दर के तथा अप्रार्थीगण श्रीराम के उतराधिकारी है।
3. यह है कि उपरोक्त सहखातेदारी की भूमि ख.स. 469 व 472 के अलावा भीकाराम के खातेदारी की भूमि ख.न. 16 रकबा 10–08 बीघा, ख.न. 17 रकबा 7–08 बीघा, ख.स. 24 रकबा 9–01 बीघा व ख.स. 28 रकबा 13–12 बीघा

कुल रकबा 40–09 बीघा वाके मौजा पालडी जोधा में आई हुई है खतौनी साथ पेश है

4. यह है कि भीकाराम ने अपने जीवन काल में ही सम्वत 2070 की आखातीज को अपने खातेदारी की भूमि ख.न. 16 रकबा 10–08 बीधा भूमि को मुखजुबानी प्रार्थीगण को बक्सीस कर प्रार्थीगण को इस 10–08 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा प्रार्थीगण ने बक्सीस स्वीकार कर कब्जा प्राप्त कर लिया तब से ख.न. 16 की भूमि पर अकेले प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त खातेदारी चली आ रही है लेकिन राजस्व रेकर्ड में अभी भींकाराम की खातेदारी दर्ज होने से प्रार्थीगण ग्राम पालड़ी जोधा के ख.स. 16 रकबा 10–08 बीघा भूमि अपने अकेले के खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण का ख.न. 16 की भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार खातेदारी कब्जा नही है।
5. यह है कि भीकाराम की दिनांक 04.04.2020 को बीमारी व इलाज के चलते नागौर राजकीय चिकित्सालय में लाऔलाद मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 7 स्व. भीकाराम के एक ही श्रेणी के समान दूरी के उतराधिकारी होने से भीखाराम की ख.न. 17, 24, 28, 469 व 472 की भूमि के समान रूप से हकदार हुए और इन पांचो खसरो की भूमि पर प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा चला आ रहा है।
6. यह है कि अभी लगभग एक महिने से अप्रार्थीगण ख.न. 17, 24 व 28 की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे में दखल डाल रहे है और प्रार्थीगण को इन तीनों खसरों की भूमि से बेदखल करने व बैचान करने की धमकी दे रहे है और कह रहे है कि इन तीनों खसरो 17, 24 व 28 में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है तब प्रार्थीगण ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में वाद पेश करने हेतु इन खसरों की भूमि व ख.न. 16, 469 व 472 की भूमि बाबत वाद पेश करने के लिए खतौनी की नकले प्राप्त की। ख.न. 17, 24, 28 की खतौनी नकल मिलने पर ज्ञात हुआ कि सन् 2018 में अप्रार्थीगण के षड़यंत्र रचकर फर्जी कुटरचित बेचाननामे अप्रार्थी संतोष व सुमित्रा के नाम पंजीबद्ध करवा दिये, जबकि भीकाराम ने इन खसरों की भूमि का कभी भी संतोष व सुमित्रा को बेचान नही किया न प्रतिफल की राशि कभी प्राप्त की न इन दोनों का इस भूमि पर कब्जा है। कब्जा प्रार्थीगण का है। भीकासम ने ऐसे बेचाननामों का कभी भी प्रार्थीगण को नहीं बताया यदि वे बेचान करते तो प्रार्थीगण को अवश्य जानकारी देते। पिछले दो साल से ज्यादा समय से भीकाराम अस्वस्थ थे। बेचान करने की स्थिति में नही थे। ख.न. 17, 24, 28 की भूमि के बेचाननामों को रद्द व खारिज कराने के लिए प्रार्थीगण अलग से कानूनी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करेगें। अप्रार्थीगण सुमित्रा व संतोष का ख.न. 17, 24 व 28 में कब्जा नही है। इन तीनों खसरों की भूमि पर प्रार्थीगण अपने कब्जे बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

7. यह है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण और भीकाराम ख.न. 469 व 472 के सहखातेदार दर्ज है मगर आपसी सुविधा से प्रार्थीगण ख.न. 469 व 472 की दक्षिणी तरफ की भूमि को काश्त करते थे। अप्रार्थीगण उत्तरी हिस्से का काश्त करते है तथा भीकाराम बीच के हिस्से को काश्त करता था। अब भीकाराम की मृत्यु के पश्चात ख.न. 469 व 472 की आधी भूमि के हकदार हिस्सेदार खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थीगण है और आधी के अप्रार्थीगण एक से सात है।
8. यह है कि अप्रार्थीगण की नाजायज़ हरकत से प्रार्थीगण के हक के अधिकारों पर खतरा खड़ा हो गया है। प्रार्थीगण ख.न. 16 रकबा 10–08 बीघा सम्पूर्ण ख.न. 469 व 472 की आधी भूमि अपने खातेदारी के घोषित करवाने के अधिकारी है जिस हेतु यह वाद पेश है साथ ही साथ ख.न. 17, 24, 28 में प्रार्थीगण के कब्जे मे अप्रार्थीगण हस्तक्षेप दखल नही करें ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु यह वाद पेश है।
9. यह है कि उपरोक्त तमाम तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। दौरान दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी सूरत में संभव नही हो सकेगी, प्रार्थीगण का वाद निरर्थक हो जायेगा और वाद बाहुल्यता बढेगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अतः निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस बात की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ग्राम पालड़ी जोधा के ख.न. 16, 469, 472, 17, 24, 28 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नही करे और न ख.न. 16, 469, 472, 17, 24, 28 का बेचान व हस्तांतरण करें तथा इन सभी खसरों के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 9 की ओर से दिनांक 15.10.2020 को निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया गया–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र मद सं. 1 असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को दावा व आवेदन मे सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नही है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नहीं होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि ग्राम पालड़ी जोधा के ख.न. 469 रकबा 2.595 हैक्टयर तथा ख.न. 472 रकबा 3.1808 हैक्टयर कुल 5.7303 हैक्टयर भूमि लक्ष्मीनारायण के तीन पुत्रों भीकाराम, श्यामसुन्दर व श्रीराम के संयुक्त खातेदारी संयुक्त कब्जा काश्त भी बहिस्सा बराबर रहती रही है व खातेदारी में तीनों भाइयों का नाम बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज होने के तथ्य से विरोध नही है। श्यामसुन्दर व श्रीराम दोनो भाइयों की मृत्यु होने व उक्त खसरों की भूमि में नामान्तरकरण श्यामसुन्दर व श्रीराम के उतराधिकारियों के नाम दर्ज नही होने व अभी तक श्यामसुन्दर और श्रीराम के ही नाम खातेदारी मे दर्ज

होने व प्रार्थीगण श्यामसुन्दर के व अप्रार्थीगण श्रीराम के उतराधिकारी होने के तथ्य से विरोध नही।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं: 3 मे दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नही होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि उपरोक्त सहखातेदारी की भूमि ख.न. 469 व 472 के अलावा भीकाराम के खातेदारी की भूमि ख.न. 16 रकबा 10—08 बीधा, ख.न. 17 रकबा 7—08 बीघा, ख.न. 24 रकबा 9. 01 बीघा व ख.न. 28 रकबा 13—12 बीघा कुल रकबा 40—09 बीघा भूमि वाके मौजा पालड़ी जोधा में आई हुई है। बल्कि ख.न. 17 रकबा 7—08 बीघा ख.न. 24 रकबा 9—01 बीघा व ख.न. 28 रकबा 13—12 बीघा कुल रकबा 30—01 बीघा भूमि भीकाराम ने अपने जीवन काल मे विधिवत रूप से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 8 व 9 को विक्रय कर विधिवत रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिनकी खातेदारी भी अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के नाम दर्ज है। केवल मात्र ख.न. 16 रकबा 10—08 बीघा भूमि भीकाराम के नाम खातेदार में दर्ज है।

4. यह है कि प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है यह गलत है कि भीकाराम ने अपने जीवन काल में ही सम्वत 2070 की आखातीज को अपने खातेदारी की भूमि ख.न. 16 रकबा 10—08 बीघा भूमि को मुखजुबानी प्रार्थीगण को बख्शीश कर प्रार्थीगण को इस 10—08 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया है तथा प्रार्थीगण ने बख्शीश स्वीकार कर कब्जा प्राप्त कर लिया है व तब से ख.न. 16 की भूमि पर अकेले प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त खातेदारी चली आ रही है। यह भी गलत है कि राजस्व रेकर्ड में अभी भीकाराम की खातेदारी दर्ज होने से प्रार्थीगण ग्राम पालड़ी जोधा के ख.न. 16 रकबा 10—08 बीघा भूमि अपने अकेले के खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है। यह गलत है कि अप्रार्थीगण का ख.न. 16 की भूमि में किसी प्रकार का हक़ अधिकार खातेदारी कब्जा नही है। सारे तथ्य गलत है। पक्षकारन हिन्दू है और हिन्दू विधि में मौखिक बख्शीश नही किया जा सकता है व मौखिक बख्शीश किया गया है या नही इस आधार पर किसी प्रकार का अधिकार ही किसी को प्राप्त होता है। विधि के अनुरूप बख्शीश के दस्तावेज लिखित में होना व विधिवत रूप से पंजीयन कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। इसके अभाव मे किसी प्रकार का बख्शीश नहीं हो सकता है। ख.न. 16 रकबा 10—08 बीघा के एक इंच भाग पर भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकार नही है व नही उक्त खेत में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार निहित करते है उक्त खेत एक मात्र अप्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार व कब्जे काश्त का खेत है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आगे अतिरिक्त कथनों मे दिया जा रहा है। भीकाराम उर्फ भीकमचन्द ने एक वसीयत दिनांक 20.03.20 को लिखकर सुनील को खेत दिये थे।

सहायक कलक्टर (उ.) नागौर

5. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य सम्पूर्ण रूप से सही नही होने से अस्वीकार है। भीकाराम की दिनांक 04.04.20 को बीमारी व इलाज के चलते नागौर चिकित्सालय में मृत्यु होने के तथ्य से विरोध नहीं। यह गलत है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 7 स्व. भीकाराम के एक ही श्रेणी के समान दूरी के उतराधिकारी होने से भीकाराम की ख.न. 17, 24, 28, 469 व 472 की भूमि के समान रूप से हकदार हुए है और इन पांचो खसरों की भूमि पर प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा चला आ रहा है। बल्कि ख.न. 17, 24 व 28 तो स्व. भीकाराम ने अपने जीवनकाल में विधिवत रूप से अप्रार्थी सं. 8 व 9 को विक्रय कर उन्हें कब्जा सुपुर्द कर दिया व खातेदारी उन्ही के नाम की दर्ज है व विक्रय करने के पश्चात उक्त खसरान की भूमि के स्व. भीकाराम का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। ख.न. 469 व 472 में भी प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है व नही कब्जा काश्त है। इस संबंध में विस्तृत विवरण आगे अतिरिक्त कथनों में दिया जा रहा है।

6. यह है कि प्रार्थना–पत्र की मद सं. 6 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अभी लगभग 1 महिने से अप्रार्थीगण ख.न. 17, 24 व 28 की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल डाल रहे है और प्रार्थीगण को इन तीनों खसरों की भूमि पर से बेदलख करने व बेचान करने की धमकी दे रहे है व कह रहे है कि इन तीनों खसरों 17, 24 व 28 में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है। यह गलत है कि तब प्रार्थीगण ने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वाद पेश करने हेतु इन खसरो की भूमि व ख.न. 16, 469 व 472 की भूमि की खतौनी की नकले प्राप्त की है व ख.न. 17, 24 व 28 की खतौनी की नकल मिलने से ज्ञात हुआ है कि सन् 2018 में अप्रार्थीगण ने षड्यंत्र रच कर फर्जी व कूटरचित बैचाननामे अप्रार्थी संतोष व सुमित्रा के नाम पंजीबद्ध करवा दिये है। यह भी गलत है कि भीकाराम ने इन खसरों की भूमि का कभी भी संतोष व सुमित्रा को बेचान नही किया हो, न प्रतिफल की राशि कभी प्राप्त की हो व इन दोनों का इस भूमि पर कब्जा है। यह भी गलत है कि कब्जा प्रार्थीगण का है। यह गलत है कि भीकाराम ने ऐसे बेचाननामे का भी प्रार्थीगण को नही बताया है। यह भी गलत है कि पिछले दो साल से ज्यादा समय से तो भीकाराम अस्वस्थ है व बेचान करने की स्थिति में नही है। यह गलत है कि अप्रार्थी सुमित्रा व संतोष का ख.न. 17, 24 व 28 पर कब्जा नहीं है। यह भी गलत है कि इन तीनों खसरों की भूमि पर प्रार्थीगण अपने कब्जे बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। सारे तथ्य गलत दर्ज किये है। विक्रय–पत्र बाबत प्रार्थीगण को शुरू से जानकारी रही है। स्व. भीकाराम ने विधिवत रूप से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर व कब्जा सुपुर्द कर स्वेच्छा व स्वस्थचित से स्वयं ने विक्रय–पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाये है जो विक्रय–पत्र वैद्य व प्रभावी दस्तावेज

है। किसी भी प्रकार से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज नही है। उक्त ख.न. 17, 24 व 28 पर वक्त क्रय से कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 8 व 9 का ही रहता आया है। उक्त खसरान की भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है व न ही आज दिन है। प्रार्थीगण ने वाद गलत आधारों पर पेश किया है जो निरस्त योग्य है।

7. यह है कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण व भीकाराम ख.न. 469 व 472 के सहखातेदार अवश्य दर्ज है। परन्तु यह गलत है कि आपसी सुविधा से प्रार्थीगण ख.न. 469 व 472 की दक्षिणी तरफ की भूमि को काश्त करते है व अप्रार्थीगण उतरी हिस्से को काश्त करते है एवं भीकाराम बीच के हिस्से को काश्त करता है। यह गलत है कि अब भीकाराम की मृत्यु पश्चात ख. न. 469 व 472 की आधी भूमि के हकदार हिस्सेदार खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थीगण है व आधी के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 है। ख.न. 469 व 472 के किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा व नही उक्त खेताय में प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा व अधिकार ही है व नही खातेदारी हक निहित करता है व नहीं प्रार्थीगण किसी भी प्रकार के से काबिज काश्तकार है। उक्त खेताय एक मात्र अप्रार्थी सं. 1 से 7 की खातेदारी हक अधिकार व कब्जे काश्त के खेताय है। इस संबंध में विस्तृत विवरण आगे अतिरिक्त कथनों में दिया जा रहा है।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई नाजायज हरकत की है व प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर किसी प्रकार का खतरा खड़ा हो गया है। यह गलत है कि प्रार्थीगण ख.न. 16 रकबा 10–08 बीघा सम्पूर्ण खसरा ख.न. 469 व 472 की आधी भूमि अपने खातेदारी की घोषित करवाने के अधिकारी है। यह गलत है कि ख.न. 17, 24 व 28 में प्रार्थीगण का कब्जा है व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने वाद गलत आधारों पर पेश किया है। प्रार्थीगण का ख.न. 16 रकबा 10–08 बीघा, ख.न. 469 व 472 में किसी प्रकार का हक हिस्सा खातेदारी हक अधिकार व कब्जा नही है न ही खातेदारी हक अधिकार निहित करता है। इसलिए उक्त खेताय के संबंध में किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है। ख.न. 17, 24 व 28 के किसी भी भाग में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है व नही उक्त खेताय के संबंध में हक अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त खेताय के संबंध में किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद गलत आधारों पर बिना अधिकार के पेश किया गया है व निरस्त होने योग्य है।
9. यह है कि प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है बल्कि अप्रार्थीगण काबिज खातेदार व रेकार्डेड

खातेदार होने से उक्त तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थीगण का आवेदन सव्यय खारिज किये जाने के है।

अतः जबाव मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें व खर्चा व हर्जा प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को दिलाया जावें।

दिनांक 24.02.2021 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन उनके हक में होने से वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में जारी एक तरफा स्थायी निषेधाज्ञा को दावे के निर्णय तक पुष्टि करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि उनके विक्रय–पत्र विश्वसनीय एवं रजिस्ट्रर्ड है। प्रार्थीगण मौखिक रूप से किये गये बख्शीशनामे के आधार पर दावा व प्रार्थना–पत्र लाये है, जो अविश्वसनीय है। रेकर्डेड खातेदारो के खिलाफ प्रार्थना–पत्र लाये है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को कूटरचित व झूठा बता रहे है, जो गलत है। प्रार्थीगण अपना कब्जा साबित नही कर पाये है। वकील अप्रार्थीगण ने 1. RRT 2004 Vol.-I पेज संख्या 587 2. RRD 2009 Vol.-II पेज संख्या 1398 3. RRD 1997 पेज संख्या 30 4. RBJ(10) 2003 पेज संख्या 497 5. RBJ(11) 2004 पेज संख्या 270 6. RBJ(11) 2004 पेज संख्या 163 की नजीरे पेश करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी ने पुनः दलील दी कि दोनों पक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। वकील अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि पैतृक सम्पति होने के बावजूद वर्तमान स्थिति पर विचार किया जायेगा तथा पैतृक सम्पति का बंटवाड़ा पहले हो गया है। वकील प्रार्थीगण ने कहा कि बेचाननामा विवादित है तथा बेचान कर्ता भीकाराम हमारे साथ रहता था, उसे रूपये की कोई आवश्यकता नही थी। वकील अप्रार्थीगण ने कहा कि प्रार्थना–पत्र में कही अंकित नही है कि स्व. भीकाराम प्रार्थीगण के साथ रहते थे। वकील प्रार्थी ने कहा की जो रूलिंग वकील अप्रार्थीगण ने पेश की है वह इस प्रकरण में लागू नही होती है। वकील अप्रार्थी ने अंत में कहा कि प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है और अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के बहाने बेदखल करना चाहते है। वकील प्रार्थी ने निम्नलिखित रूलिंग पेश की –

1. RRT 2009 (1) पेज संख्या 141 2. RRD 1993 पेज संख्या 206 3. 2014 (3) C.C.C पेज संख्या 324 P and H 4. 2013(1) DNJ RAJ पेज संख्या 170 5. 2002 RRD पेज संख्या 744 की नजीरे पेश करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने कहा की ये रूलिंग इस प्रकरण में लागू नहीं होती है।

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार व मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खसरा नम्बर 469 व 472 वर्तमान जमाबंदी में भीकाराम 1/3, श्यामसुन्दर 1/3, श्रीराम 1/3, पि. लक्ष्मीनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 17 व 24 सुमित्रा पत्नी रमेश (अप्रार्थी सं. 9) व खसरा नम्बर 16 भीकाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण तथा खसरा नम्बर 28 संतोष पत्नी सुरेश (अप्रार्थी सं. 8) के नाम खातेदारी में दर्ज है। श्यामसुन्दर व श्रीराम का स्वर्गवास होने से प्रार्थना पत्र में श्यामसुन्दर के उतराधिकारी प्रार्थी पक्ष है तथा श्रीराम के उतराधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से 7 है। प्रार्थीगण द्वारा भीकाराम को लावल्द फौत होना बताया है। इस प्रकार मुख्य विवाद भीकाराम की भूमि को लेकर है। प्रार्थीगण स्व. भीकाराम की भूमि खसरा नम्बर 469 व 472 को समान उतराधिकार की बताते है तथा खसरा नम्बर 16 को भीकाराम द्वारा अपने जीवनकाल में मौखिक रूप से प्रार्थीगण को दान करने व कब्जा कराने का कहते है। अप्रार्थीगण स्व. भीकाराम की खसरा नम्बर 16, 469 व 472 भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 के हक में दिनांक 20.03.20 को नोटेरी से तस्दीक सुदा वसीयत पेश करते हुए अपना हक व कब्जा जताते है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति के सिद्धांत पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर